सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

26 कार्तिक 1936 (श०)

संख्या 606 राँची ,सोमवार

17 नवम्बर, 2014 (ई०)

वित्त विभाग

संकल्प

13 नवम्बर, 2014

विषय: **राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को देय यात्रा भत्ता की दरों में संशोधन एवं विभिन्न संकल्प/आदेश/परिपत्रों का एकीकरण करते हुये समेकित रूप से लागू करने के संबंध में।**

संख्या-6/एस-5 (भत्ता)-02/2011/3829/वि०--केन्द्रीय छठे वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों के वेतन एवं भत्तों का पुनरीक्षण किया गया है। राज्य के सेवीवर्ग को केन्द्रीय कर्मियों के अनुरूप वेतनमान एवं अन्य भत्ते स्वीकृत करने संबंधी सैद्धान्तिक सहमति के आलोक में वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि॰ दिनांक 28 फरवरी, 2009 द्वारा राज्य के सरकारी सेवकों के वेतनमान पुनरीक्षण एवं वित्त विभाग के पत्रांक 2668/वि॰, दिनांक 4 अगस्त, 2009, संकल्प संख्या- 3336 दिनांक 17 सितम्बर, 2014 द्वारा दैनिक भत्ता, मील भत्ता, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि के दरों में वृद्धि हेतु झारखण्ड यात्रा भत्ता नियमावली के संगत नियमों को संशोधन करने का निर्णय लिया गया है।

2. राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मियों के नई वेतन संरचना लागू किये जाने एवं तद्नुरूप झारखण्ड यात्रा भत्ता नियमावली के संगत नियमों का संशोधन हो जाने के फलस्वरूप झारखण्ड न्यायिक सेवा के पदाधिकारी पुनरीक्षित वेतनमान में देय यात्रा भत्ता से वंचित हो गये हैं। चूँकि राज्य

न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को दिनांक 1 जनवरी, 2006 के प्रभाव से न्यायमूर्ति ई॰ पद्मनाभन की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1990/वि॰ दिनांक 29 जून, 2010 द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किया गया है, जो राज्य कर्मियों के लिए स्वीकृत पुनरीक्षित केन्द्रीय वेतनमान अर्थात् pay in the pay band एवं ग्रेड वेतन पर आधारित न होकर वेतनमान पर आधारित है, जबकि राज्य कर्मियों के लागू यात्रा भत्ता ग्रेड वेतन आधारित है।

3. वित्त विभाग के पत्रांक 1524/वि॰(2) दिनांक 13 मार्च, 2000 एवं संकल्प संख्या 522 दिनांक 12 मार्च, 2012 के द्वारा झारखण्ड यात्रा भत्ता नियमावली में संगत नियमों के अनुसार निर्धारित दरों का लाभ राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों पर भी प्रभावी है।

4. वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 3336 दिनांक 17 सितम्बर, 2014 द्वारा राज्य के सरकारी सेवकों को देय यात्रा भत्ता की दरों में संशोधन किये जाने के फलस्वरूप राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के यात्रा भत्ता अनुमान्यता का विषय सरकार के स्तर पर विचाराधीन था।

5. अतः राज्य कर्मियों के अनुरूप राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को यात्रा भत्ता निम्नरूपेण लागू करने का निर्णय लिया गया है:-

(A) वेतन के आधार पर न्यायिक सेवा के पदाधिकारी का वर्गीकरण (नियम-28)

(i) District Judge (Entry Scale)	51550-1230-58930-1380-63070/- एवं इससे अधिक वेतनमान पाने वाले न्यायिक अधिकारी।
(ii) Civil Judge (Senior Division) (Entry Scale)	39530-920-40450-1080-49090-1230-54010/- एवं इससे अधिक वेतनमान पाने वाले न्यायिक अधिकारी।
(iii) Civil Judge (Junior Division) (Entry Scale)	27700-770-33090-920-40450-1080-44770/- एवं इससे अधिक वेतनमान पाने वाले न्यायिक अधिकारी।

(B) यात्रा हेतु श्रेणी/स्थान की अनुमान्यता

(क) वायुयान से यात्रा (नियम 63)

(i) District Judge (Entry Level) वेतनमान रु॰ 51550-1230-58930-1380-63070/- एवं इससे अधिक वेतनमान पाने वाले न्यायिक सेवा के पदाधिकारी कर्तव्य पर यात्रा की स्थिति में वायुयान से

यात्रा करने के हकदार होंगे। रु० 70290-1540-76450/- या इससे अधिक वेतनमान प्राप्त करने वाले जिला न्यायाधीश (सुपर वेतनमान) ही देश के अंदर Executive Class में वायु यात्रा के पात्र होंगे। वेतनमान रु० 51550-1230-58930-1380-63070/- से अधिक एवं रु० 70290-1540-76450/- से कम वेतनमान प्राप्त करने वाले न्यायिक सेवा के अधिकारी Economy Class से देश के अंदर वायुयान से यात्रा के पात्र होंगे।

(ii) विशेष परिस्थिति में Civil Judge (Senior Division) (Entry Level) वेतनमान रु० 39530-920-40450-1080-49090-1230-54010/- एवं इससे अधिक वेतनमान पाने वाले न्यायिक पदाधिकारी को वायुयान से यात्रा की अनुमति प्रदान की जा सकेगी वशर्ते कि यात्रा की दूरी 500 कि०मी० से अधिक हो तथा सीधी रेल सेवा से यह दूरी रातभर में (संध्या 6:00 बजे से प्रातः 8:00 बजे तक) पूरी न की जा सके।

(ख) रेल द्वारा यात्रा {नियम 46 (1)}

(i) District Judge (Entry Level) वेतनमान रु० 51550-1230-58930-1380-63070/- एवं इससे अधिक वेतनमान पाने वाले न्यायिक पदाधिकारी वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में यात्रा के हकदार होंगे तथा उपरोक्त अंकित वेतनमान से कम वेतनमान पाने वाले सभी न्यायिक सेवा के पदाधिकारी वातानुकूलित 2 टीयर शयनयान में यात्रा के हकदार होंगे।

नोट:- (i) यदि किसी स्थान पर रेल का सम्पर्क नहीं है, तो उस मामले में, जिनकी रेल द्वारा वातानुकूलित 2 टीयर में यात्रा करने की पात्रता है, वे वातानुकूलित बस द्वारा यात्रा के हकदार होंगे।

(ii) रेल से जुड़े स्थानों के बीच सड़क यात्रा के मामले में सार्वजनिक परिवहन के किसी भी माध्यम द्वारा यात्रा की अनुमति इस शर्त्त पर होगी कि कुल किराया पात्रता श्रेणी द्वारा रेल किराया से अधिक नहीं हो।

(ग) सड़क से यात्रा (नियम 57)

(i) District Judge (Entry Scale) 51550-1230-58930-1380-63070/- एवं इससे अधिक वेतनमान पाने वाले न्यायिक अधिकारी।	वातानुकूलित बस सहित सार्वजनिक बस के किसी भी प्रकार द्वारा वास्तविक किराया। अथवा वातानुकूलित टैक्सी की निर्धारित दरों पर जब यात्रा वास्तविक तौर पर वातानुकूलित टैक्सी द्वारा हुई है। अथवा आटोरिक्शा, स्वयं के स्कूटर, मोटर साईकिल, मोपेड आदि द्वारा यात्रा के लिए आटोरिक्शा हेतु निर्धारित दरों पर।

Civil Judge (Junior Division) (Entry Scale) 27700-770-33090-920-40450-1080-44770/- एवं इससे अधिक वेतनमान पाने वाले न्यायिक अधिकारी।	उपर्युक्त (1) के अनुसार इस अपवाद के साथ कि वातानुकूलित टैक्सी द्वारा यात्रा स्वीकार्य नहीं होगी।

नोट :- (i) राज्य के अन्दर सड़क यात्राओं के लिए माईलेज भत्ता निम्नलिखित दरों पर विनियमित होगा:-

(a) अपनी कार/टैक्सी (AC) द्वारा की गयी यात्राओं के लिये- 12 (बारह) रुपये प्रति कि॰मी॰।

(b) अपनी कार/टैक्सी (Non- AC) द्वारा की गयी यात्राओं के लिये- 10 (दस) रुपये प्रति कि॰मी॰।

(c) ऑटोरिक्शा अपने स्कूटर आदि द्वारा की गयी यात्राओं के लिये- 6(छः) रुपये प्रति कि॰मी॰।

(ii) इस राज्य के बाहर उन स्थानों पर जहाँ संबंधित राज्य के परिवहन निदेशालय द्वारा कोई विशेष दरें निर्धारित नहीं की गयी हो, वहाँ सड़क यात्राओं के लिये माइलेज भत्ता निम्नलिखित दरों पर विनियमित होगा:-

(a) अपनी कार/टैक्सी (AC) द्वारा की गयी यात्राओं के लिये- 24 रुपये प्रति कि॰मी॰।

(b) अपनी कार/टैक्सी (Non- AC) द्वारा की गयी यात्राओं के लिये- 20 रुपये प्रति कि॰मी॰।

(c) ऑटोरिक्शा अपने स्कूटर आदि द्वारा की गयी यात्राओं के लिये- 12 रुपये प्रति कि॰मी॰।

(घ) पैदल यात्रा के लिये:

दौरे और स्थानान्तरण पर साईकिल पर यात्राओं के लिये माईलेज भत्ते की दर 1.20 रुपये प्रति कि॰मी॰ अनुमान्य होगा।

(c) दैनिक भत्ता {नियम 69(i)}:-

वेतनमान	**अनुमान्यता**
(i) District Judge (Entry Scale) 51550-1230-58930-1380-63070/- एवं इससे अधिक वेतनमान पाने वाले न्यायिक अधिकारी।	रु० 7500/- तक प्रतिदिन होटल आवास/ के लिए प्रतिपूर्ति, शहर के भीतर यात्रा के लिए 50 कि०मी० तक वातानुकूलित टैक्सी प्रभारों की प्रतिपूर्ति और प्रतिदिन अधिकतम 750/- रुपये के खाने के बिलों की प्रतिपूर्ति
(ii) Civil Judge (Junior Division) (Entry Scale) वेतनमान रु० 27700-770-33090-920-40450-1080-44770/- एवं इससे अधिक वेतनमान पाने वाले न्यायिक अधिकारी।	प्रतिदिन रु० 4500/- तक होटल आवास के लिए प्रतिपूर्ति, शहर के भीतर यात्रा के लिए 50 कि०मी० तक बिना वातानुकूलित टैक्सी प्रभारों की प्रतिपूर्ति और प्रतिदिन प्रतिपूर्ति अधिकतम 450/- रुपये के खाने के बिलों की प्रतिपूर्ति

नोट: (i) दिल्ली प्रवास के दौरान झारखण्ड भवन द्वारा सामान्यतः आवासीय सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। झारखण्ड भवन द्वारा यह सुविधा उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में ही उक्त सुविधा झारखण्ड भवन से प्रदत्त प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही अनुमान्य होगी।

(ii) दिल्ली प्रवास के दौरान झारखण्ड भवन में आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में झारखण्ड भवन द्वारा अनुशंसित होटल/आवासन व्यवस्था में आवासित होने अथवा झारखण्ड भवन द्वारा व्यवस्था नहीं होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ग्रेड वेतन के अनुसार निर्धारित दैनिक भत्ता प्रतिपूर्ति वास्तविक विपत्र के विरूद्ध अनुमान्य सीमा तक के लिये अनुमान्य होगी।

(D) स्थानान्तरण यात्रा भत्ता (नियम- 83)

(क) अनुमान्यता- उपर अंकित वेतनमान में वर्गीकरण के अनुसार अनुमान्य श्रेणी/स्थान संबंधित सरकारी सेवक को स्थानान्तरण यात्रा के लिये भी अनुमान्य होगा।

स्थानान्तरण यात्रा की अनुमान्यता से संबंधित अन्य प्रावधान पूर्ववत् रहेंगे।

नोट:- केन्द्र सरकार के निर्णय के अनुरूप राज्य कर्मियों के बीच सीमित परिवार की धारणा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया कि स्थानान्तरण यात्रा भत्ता सरकारी सेवक के दो आश्रित बच्चों तक ही सीमित रखा जाये। यह बंधेज निम्न अवस्थाओं में लागू नहीं होगा:-

(i) सरकारी सेवक जिन्हें दिनांक 10 मार्च, 2000 के पूर्व से ही दो से अधिक बच्चे हों।

(ii) यदि इस आदेश के निर्गत होने तक सरकारी सेवक वर्तमान में निःसंतान हो अथवा उसे एक ही बच्चा हो, किन्तु बाद में एक साथ एक से अधिक जुड़वा बच्चों के होने की स्थिति में बच्चों की संख्या दो से अधिक हो जाय।

(ख) स्थानान्तरण अनुदान (नियम 88) (i) - वित्त विभाग के पत्र संख्या 4725/वि०, दिनांक 27 अगस्त, 1991 द्वारा सरकारी सेवकों के मूल वेतन का एक तिहाई स्थानान्तरण अनुदान पूर्व से अनुमान्य है। राज्य सरकार ने राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारी के लिये स्वीकृत पुनरीक्षित वेतनमान में यथा परिभाषित मूल वेतन के समतुल्य राशि स्थानान्तरण अनुदान के रूप में अनुमान्य करने का निर्णय लिया था, इसमें भारत सरकार के परिपत्र एवं अन्य राज्यों में प्रचलित दर के क्रम में निम्न संशोधन किया जाता है:-

(क) एक जिले के अधीन हुये स्थानान्तरण पर स्थानान्तरण अनुदान देय नहीं होगा। मात्र आवास परिवर्तन की स्थिति में निम्नवर्णित कंडिका 5{D(ग)} के अनुरूप अनुमान्य होगा।

(ख) 60 कि॰मी॰ की परिधि में दूसरे जिले में भी हुए स्थानान्तरण पर उक्त 'क' की शर्तें अनुमान्य होगी।

(ग) एक वर्ष के अन्दर किसी पदाधिकारी का स्थानान्तरण उसके पूर्व पदस्थापित जिले में पुनः पदस्थापित होने पर [5{D(ख)(i)(क)} के अनुरूप रहेगा।

(घ) 200 कि॰मी॰ के अन्दर स्थानान्तरण होने पर एक तिहाई ही स्थानान्तरण अनुदान देय होगा।

(ङ) मात्र 200 कि॰मी॰ से दूर स्थानान्तरण होने पर ही मूल वेतन के समतुल्य स्थानान्तरण अनुदान देय होगा।

(ii) स्वयं के अनुरोध पर हुए स्थानान्तरण पर यह स्थानान्तरण अनुदान अनुमान्य नहीं होगा।

(iii) स्थानान्तरण अनुदान स्थानान्तरित स्थान पर प्रभार लेने की अवधि के एक माह के भीतर या स्थानान्तरण संबंधी निर्गत अधिसूचना की तिथि से तीन माह के अन्दर सक्षम प्राधिकार के समक्ष दावा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्यथा, निर्धारित उपर्युक्त अवधि के बाद स्थानान्तरण अनुदान अनुमान्य नहीं होगा। संबंधित पदाधिकारी को अपने पूर्व स्थान का पदभार तथा सभी प्रभार अभिलेख/स्टोर इत्यादि तथा unadjusted advance जो GPF/Vehicle/Festival advance/ Home loan को छोड़कर हो, उसका समायोजन हो चुका हो तथा LTC पर सभी Details अंकित हो।

(ग) निजी सामग्रियों के परिवहन की अनुमान्यता {नियम 85(iii)}

ग्रेड वेतन	**रेल द्वारा**	**सड़क द्वारा परिवहन के लिये (प्रति कि.मी. दर)**
(i)Civil Judge (Senior Division) (Entry Scale) के लिए अनुमान्य वेतनमान एवं इससे अधिक वेतनमान पाने वाले न्यायिक अधिकारी।	मालगाड़ी/चार पहिया वैगन/ डबल कन्टेनर द्वारा 6000 कि॰ ग्रा॰	27.00 (Rs. 0.003 per kg/km)
(ii) Civil Judge (Junior Division) (Entry Scale) के लिए अनुमान्य वेतनमान में पाने वाले अधिकारी।	मालगाड़ी/चार पहिया वैगन/ सिंगल कन्टेनर द्वारा 6000 कि॰ ग्रा॰	27.00 (Rs. 0.003 per kg/km)

नोट:- (i) केवल सड़क मार्ग से जुड़े स्थानों के बीच उपर्युक्त दर पर व्यक्तिगत सामग्री के परिवहन की सुविधा अनुमान्य होगा।

(ii) यदि सरकारी सेवक द्वारा रेलमार्ग से जुड़े स्थानों के बीच व्यक्तिगत सामग्री की ढुलाई सड़क मार्ग से की जाती है, तो ऐसी ढुलाई पर होने वाला वास्तविक व्यय अथवा मालगाड़ी से संबंधित सरकारी सेवक को अनुमान्य अधिकतम सामग्री की ढुलाई के लिये देय राशि का सवा गुणा, दोनों में जो कम हो, सरकारी सेवक को अनुमान्य होगा।

(iii) यह सुविधा वास्तविक रूप से स्थान परिवर्तन होने पर ही अनुमान्य होगा।

(घ) वाहन की ढुलाई {नियम 85(iii) B}:

राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारी वाहन ढुलाई के हकदार होंगे:-

वेतनमान	**अनुमान्यता**
न्यायिक सेवा के बेसिक ग्रेड से ऊपर वेतनमान पाने वाले अधिकारी	एक मोटरकार या एक मोटर साईकिल/स्कूटर अथवा एक घोड़ा-1

(a) रेल मार्ग से:-

(i) यात्री गाड़ी से - वास्तविक किराया।

(ii) माल गाड़ी से - पार्सल लागत, बंधाई खर्च, बाँधी गयी कार/मोटर साईकिल को पार्सल घर लाने तथा ले जाने का व्यय, ट्रेन पर चढ़ाने-उतारने का खर्च आदि मिलाकर कंडिका-(i) में अंकित राशि की अधिसीमा के अंतर्गत।

(iii) कार के परिवहन के लिये निकटतम रेल मार्ग से एक कार चालक के लिये द्वितीय श्रेणी का किराया।

(b) सड़क मार्ग से:-

(अ) कार/स्कूटर/मोटर साईकिल/मोपेड:-

क्रÛ	**यात्रा के साथ**	**रेलमार्ग से जुड़े स्थान के लिये**	**रेलमार्ग से नहीं जुड़े स्थानों के लिये**
1	वाहन को ट्रक पर लादकर भेजने पर	वास्तविक खर्च/निर्धारित दर पर अनुमान्य राशि/सवारी गाड़ी से भेजने का खर्च, जो कम हो।	वास्तविक खर्च (निर्धारित दर पर अनुमान्य राशि की अधिसीमा के अंतर्गत)
2	जब वाहन चलाकर भेजा जाये	निर्धारित दर पर (सवारी गाड़ी से भेजने की लागत अधिसीमा के अंतर्गत)	निर्धारित दर पर।

नोट:- (i) वाहन को ट्रक पर लादकर भेजने पर (जहाँ रेल मार्ग से नहीं जुड़े स्थानों के लिए) 12/- रुपये प्रति कि॰मी॰ की दर से अनुमान्य होगा।

(ii) जब वाहन चलाकर भेजा जाये और सरकारी सेवक/परिवार के सदस्य वाहन से यात्रा कर रहे हों, तो उन्हें वायु/रेल/सड़क अनुमान्य नहीं होगा।

अलग यात्रा के लिये यथास्थिति वायु/रेल/सड़क यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा।

(आ) साईकिल:- रेल से जुड़े स्थानों के लिये सवारी गाड़ी से ढुलाई लागत की अधिसीमा के अंतर्गत वास्तविक ढुलाई लागत तथा रेल से नहीं जुड़े स्थानों के लिये 1.80 रुपये कि॰मी॰ की दर पर।

सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को यात्रा भत्ता:-

(क) एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता:-

(i) उन कर्मचारियों के मामले में जो अपनी सेवानिवृत्ति पर अपने कार्यभार के अंतिम स्थान से 20 कि॰मी॰ से अधिक दूर किसी अन्य स्थान पर रहते हैं, को अंतिम महीने के आहरित मूल वेतन के बराबर राशि स्थानान्तरण अनुदान दिया जायेगा। आवास और रेलवे स्टेशन/बस स्टैण्ड आदि के बीच नये और पुराने स्टेशन पर की जाने वाली यात्राओं के लिये स्थानान्तरण आकस्मिकताओं और रोड माईलेज स्थानान्तरण अनुदान में समाहित कर दिया गया है और यह अलग से अनुज्ञेय नहीं होंगे।

(ii) सेवारत न्यायिक पदाधिकारियों के मामले में, जो सेवानिवृत्ति के पश्चात् अपने कार्यभार के अंतिम स्थान पर या इससे 20 कि॰मी॰ से कम की दूरी पर रहते हैं, तो उनको स्थानान्तरण अनुदान का एक-तिहाई भाग अदा किया जायेगा, बशर्ते कि आवास परिवर्त्तन वास्तव में हुआ हो।

(iii) इस सुविधा हेतु संबंधित सेवानिवृत्त कर्मी के द्वारा सेवानिवृत्ति की तिथि से एक माह के अन्दर सक्षम प्राधिकार के समक्ष दावा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विशेष परिस्थिति में सेवानिवृत्ति की तिथि से तीन माह के अन्दर कार्यालय प्रधान से अनुमोदन प्राप्त कर ही अपना दावा सक्षम प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(iv) त्याग-पत्र, पदच्युत, बर्खास्तगी एवं दण्ड स्वरूप अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में स्थानान्तरण अनुदान देय नहीं होगा।

(v) वार्धक्य सेवानिवृत्ति एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में ही स्थानान्तरण अनुदान कंडिका-(i) एवं (ii) के अनुसार ही देय होगा।

(ख) वाहन परिवहन:-

न्यायिक पदाधिकारी द्वारा अपनी सेवानिवृति के समय परिवहन वाहन पर किये गये खर्च की प्रतिपूर्ति की जायेगी और इसके लिए इस बात पर जोर नहीं दिया गया कि अपनी सेवा के दौरान अपने कार्यभार के अंतिम स्थान पर उक्त सरकारी कर्मचारी द्वारा लोकहित में ही वाहन रखा गया हो।

6. प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्ति के दौरान यात्रा भत्ता :-

(i) जब कर्मी को प्रशिक्षण हेतु भारत के अन्दर प्रतिनियुक्ति किया जाता है (सेवा सम्पुष्टि के बाद में प्रशिक्षण) तो उसे निम्न प्रकार से यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता अनुमान्य होगा:-

(a) जहाँ भोजन एवं आवासन की सुविधा उपलब्ध न हो

पहले 180 दिन- पूर्ण दैनिक भत्ता

180 दिन के बाद- शून्य।

(b) ऐसे प्रशिक्षण संस्थान जहाँ भोजन एवं आवासन की सुविधा उपलब्ध हो (जहाँ भोजनालय का संचालन सहकारिता/प्राईवेट/ एजेन्सी के माध्यम से किया जाता हो)

पहले 30 दिन- पूर्ण दैनिक भत्ता

अगले 150 दिन- आधा दैनिक भत्ता

180 दिन के बाद- शून्य।

(ii) यदि प्रशिक्षण की अवधि 180 दिनों से ज्यादा होती हो तो कर्मी के पास पहले 180 दिनों के लिए यह विकल्प होगा कि वह स्थानान्तरण यात्रा भत्ता ले सकता है या भ्रमण यात्रा भत्ता + दैनिक भत्ता ले सकता है।

(iii) यदि सैद्धान्तिक प्रशिक्षण और व्यवहारिक प्रशिक्षण दो अलग- अलग स्थानों पर दिया जाता है और 180 दिनों या इससे कम अवधि के लिए दैनिक भत्ता पहले स्थान के आधार पर लिया गया हो तो भी दूसरे स्थान के अनुसार दैनिक भत्ता अनुमान्य होगा। यदि सैद्धान्तिक प्रशिक्षण और व्यवहारिक प्रशिक्षण दोनों एक ही स्थान पर दिया जा रहा हो तो दैनिक भत्ता पहले 180 दिनों के लिए ही अनुमान्य होगा।

(iv) यदि कर्मी किसी निश्चित स्थान पर प्रशिक्षणरत है और इस क्रम में भ्रमण के लिए किसी दूसरे स्थान पर जाना पड़े तो उसे पूर्ण दैनिक भत्ता अनुमान्य होगा। लेकिन इस अवधि की गणना 180 दिनों में की जायेगी।

(v) मुख्यालय क्षेत्र में प्रशिक्षण के दौरान कार्यस्थल एवं प्रशिक्षण स्थल के बीच की दूरी के बावजूद भी यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

(vi) वैसे अधिकारी जिन्हें शहरी सीमा के अन्दर (मुख्यालय क्षेत्र) प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त किया जाता है। उन्हें भी यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

7. राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को देय यात्रा भत्ता के निमित्त पूर्व में निर्गत परिपत्र/संकल्प इस हद तक विलोपित समझा जाय।

8. राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के मामलों में झारखण्ड यात्रा भत्ता नियमावली, 2000 में सन्निहित अन्य सभी शर्ते यथावत लागू रहेंगे।

9. यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

10. राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के मामलों में प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 3558/वि॰ दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 के क्रम में दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 की बैठक के मद सं॰ 05 में दी गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राजबाला वर्मा,

सरकार के प्रधान सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 606–50 ।